पी0आई0पी0 2016–17 में परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश आर0सी0एच0फ्लैक्सीपूल (एफ0एम0आर0 कोड0–ए.3)

परिवार नियोजन कार्यक्रम आर.एम.एन.सी.एच+ए गतिविधियों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण घटक है। मातृ–शिशु एवं बाल मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान में प्रदेश की सकल प्रजनन दर 3.1 को आगामी चार वर्षों (वर्ष 2020 तक) में 2.1 तक लाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु परिवार नियोजन की स्थाई व अस्थाई दोनों प्रकार की विधियों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इन उद्देश्यों को समय से प्राप्त करने में निम्नलिखित गतिविधियों हेतु वर्ष 2016–17 के लिये एन.एच.एम. की राज्य कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा रही है तथा उससे सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे है।

प्रत्येक जनपद को वर्ष 2015–16 की उपलब्धि तथा जनपदों से प्राप्त जनपद स्तरीय वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर वर्ष 2016–17 के लिये अनुमानित कार्यभार के आधार पर बजट आवंटित किया गया है। **जनपद स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त गतिविधियों के सफल कियान्वयन एवं जनपदीय उपलब्धियो हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी हैं।** मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद में कार्यरत अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी परिवार कल्याण के रूप में नामित कर, उनको अधिकार प्रदत्त कर जनपद स्तरीय गतिविधियों को कियान्वित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त गतिविधियों का जनपद/मण्डल स्तर पर नियमित अनुश्रवण मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी तथा मण्डलीय संयुक्त निदेशक (परिवार कल्याण) द्वारा किया जाएगा। जन आंकिकीय आधार पर महानिदेशालय परिवार कल्याण के डेमोग्राफर सेल द्वारा निर्धारित कार्यभार, जो आपको पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, के आधार पर राज्य स्तर पर समीक्षा की जाएगी। अपेक्षित कार्यभार को प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व जिला स्तरीय अधिकारियों का है। इस हेतु जुलाई एवं अगस्त 2015 को हुई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का संज्ञान लें तथा **दिनांक 19.01.2015 को प्रेषित पत्र संख्याः एन.आर.एच.एम./ एस.पी.एम.यू./एफ.डब्ल्यू/70–4/2014–15/4702–18 (के0पी0आई0) के निर्धारित प्रपत्र पर मण्डलायुक्त व अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्तर पर समीक्षा सुनिश्चित की जाए।**

दिनांक 20.03.2015 को प्रेषित पत्र संख्याः सं0प0क0/10जे0डी0/247/2015/3419–2, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्तर से गुणवत्तापरक सेवाएँ प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

नोडल अधिकारी परिवार कल्याण का उत्तरदायित्व होगा कि सम्बन्धित कार्यक्रमों से सम्बन्धित रिपोर्ट का परीक्षण के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्दर राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट का प्रेषण सुनिश्चित करायें। निजी चिकित्सालयों द्वारा हौसला साझीदारी के अन्तर्गत अधिकृत तथा अन्य सरकारी संस्थाओं यथा रेलवे व सैन्य चिकित्सालयों एवं अन्य निजी चिकित्सालयों द्वारा परिवार नियोजन के क्षेत्र में किये गये कार्य को भी जनपद की उपलब्धि में सम्मिलित किया जाए।

जनपद स्तरीय गतिविधियों हेतु बजट का आवंटन इस आशय से किया जा रहा है कि प्रदत्त दिशा निर्देश के कम में सभी गतिविधियों हेतु मदवार आवंटित धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमानुसार किया जाएगा।

वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना के अनुसार अनुमोदित एवं प्रस्तावित गतिविधियॉ

- **परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित भेजी जाने वाली मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्टो को नवीन निर्धारित प्रारूप पर भेजना सुनिश्चित करें।**
- भारत सरकार द्वारा केवल एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही रिपोर्ट को ही संज्ञान में लिया जाता है, इसलिए नोडल अधिकारी परिवार कल्याण एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा कि वे मासिक रिपोर्ट में निजी चिकित्सालयो की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संकलित मासिक रिपोर्ट व एच0एम0आई0एस0 पोर्टल की रिपोर्ट का ऑकलन कर त्रुटियों को दूर कराते हुए मासिक रिपोर्ट का प्रेषण सुनिश्चित करें।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी दिशा निर्देशों एवं रिपोर्टों से सम्बन्धित शंका समाधान हेतु निम्न मोबाईल नं0 तथा ई मेल पर संपर्क किया जाना सुनिश्चित करें –

संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण मोबाईल न0– 9415304516, आफिस दूरभाष न0 – 0522–2258540

ई मेल – **jointdirectorfw@gmail.com**

महाप्रबन्धक परिवार कल्याण, एस0पी0एम0यू0 मोबाईल नं0– 9415136236

एवं उपमहाप्रबन्धक परिवार कल्याण, एस0पी0एम0यू0 मोबाईल नं0– 8005192942

ई मेल – **gmfwnrhm@gmail.com**

नसबन्दी शिविर (महिला एवं पुरूष) हेतु सामान्य नियम :

महिला एवं पुरूष नसबन्दी शिविर (एफ0एम0आर0 कोड सं0 ए.3.1.1 एवं ए.3.1.2)

नियत दिवस पर शिविर के माध्यम से महिला एवं पुरूष नसबंदी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रति कैम्प रू0 3500.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

उक्त दोनों प्रकार के शिविरों के आयोजन हेतु निम्न नियम लागू होगें :–

वर्ष 2016–17 में नसबंदी सेवा, इकाईयों पर नियत दिवस पर प्रदान की जाएगी। जनपद के चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाईयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शिविर के माध्यम से नसबन्दी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। जनपद स्तर पर जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन या सप्ताह में दो बार एफ.आर.यू./उप जनपदीय/तहसील स्तरीय चिकित्सालयों में सप्ताह में एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पखवाड़ें में एक बार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माह में एक बार नियत दिवस सेवाएं शिविर के माध्यम से प्रदान की जाएगी। **इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि इन चिन्हित केन्द्रों पर कियाशील आपरेशन थियेटर उपलब्ध हो तथा विसंकमण एवं बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का उचित प्रबन्धन हो।** नियत दिवस शिविर हेतु भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2014 में प्रकाशित मैनुवल (समस्त जनपदों को पूर्व में प्रेषित) के पृष्ठ सं0 34–35 का दृष्टांत लेते हुए कार्य योजना परिवार नियोजन विधा में प्रशिक्षित सेवाप्रदाता उपलब्धता के अनुसार तैयार की जाए। नियत दिवस शिविर सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु शिविर कैलेण्डर त्रैमासिक तैयार कर सूचना राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाए जिससे राज्य स्तर से शिविरों का अनुश्रवण एवं मुल्यांकन किया जा सके। कैलेण्डर तैयार किए जाने के उपरांत नियत दिवस पर चिकित्सीय टीम की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने का उत्तरदायित्व जनपद प्रशासन का होगा। उन केन्द्रों पर जहां प्रशिक्षित सेवाप्रदाता/सर्जन उपलब्ध है, वहाँ प्रतिदिन भी बंध्याकरण की सेवा प्रदान की जा सकती है। नियत दिवस शिविर सेवाओं के प्रचार प्रसार हेतु उपकेन्द्र स्तर तक नियत दिवस का दीवार लेखन किया जाए। इस कार्य हेतु आई.ई.सी. में परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग भी किया जा सकता है।
नियत दिवस पर शिविर के माध्यम से नसबंदी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रति कैम्प रू0 3500/– की दर से प्रावधानित की जा रही है। इस धनराशि का उपयोग जनपद में शिविर व्यवस्था (जैसे– लाभार्थियों हेतु दरी, कुर्सी, सर्दी के समय कम्बल, रजाई, पी0ओ0एल आदि) में तालिका के अनुसार शिविर आयोजन हेतु किया जाएगा। शिविर स्थल से घर तक छोड़ने हेतु 102 एम्बुलेन्स सेवा का प्रयोग किया जाएगा। **सम्बन्धित शासनादेश 21 सितम्बर 2015 प्रेषित पत्र संख्याः 495/पॉच–1–2015–5(44)/2015/ निर्गत किया जा चुका है। शिविर में नसबंदी केसों की अधिकतम संख्या 30 तक सीमित है। एक शिविर में लाभार्थियों की संख्या 20 होने पर ही शिविर का आयोजन माना जाएगा। अतः शिविर में नसबंदी केसों की संख्या कम होने की दशा में कम से कम दो या उससे अधिक शिविरों के आयोजन को मात्र एक शिविर आयोजन माना जाएगा एवं तदनुसार बजट समायोजन प्रस्तावित किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हर माह की 21 तारीख को आयोजित किये जा रहे पुरुष नसबन्दी दिवस जिला स्तरीय चिकित्सालय में होने की स्थिति में कैम्प की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।**

हितग्राही से सहमति पत्र अवश्य हस्ताक्षरित कराया जाये और निर्धारित प्रारुप पर मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट भी पूर्ण भरी जाए। सेवा का लाभ लेने आये लाभार्थियों को विधि से सम्बंधित सभी पहलुओं पर पूर्ण जानकारी दी जाये और विधि के प्रभावों से भली भॉति अवगत कराया जाये। साथ ही लाभार्थियों को परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। इस योजना के अन्तर्गत व्याख्यित क्लेम प्रक्रिया एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी दी जाये। लाभार्थी के चिकित्सालय से छुट्टी किये जाने पर फालोअप कार्ड प्रदान किया जाए। साथ ही मौखिक रुप में अवगत भी कराया जाए कि किन–किन स्थितियों में अथवा तिथियों में लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र पर फालोअप हेतु उपस्थित होना है। सेवाप्रदाता द्वारा किन्हीं परिस्थितियों में नसबन्दी की सफलता के सन्देह की स्थिति में विवरण फालोअप कार्ड, सहमतिपत्र एवं मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट के आपरेटिव नोट्स में अवश्य अंकित किया जाए तथा इस आशय का अंकन नसबन्दी प्रमाण पत्र में भी अवश्य किया जाए। *नोडल अधिकारी परिवार नियोजन व चिकित्साअधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि नसबन्दी उपरान्त प्रदान किया जाने वाला प्रमाणपत्र नसबन्दी सफल होने की पुष्टि के उपरान्त ही जारी किया जाए।* **इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा नवीन "स्टैण्डर्डस एवं क्वालिटी एस्योरेन्स इन स्ट्रलाईजेशन सर्विसेज" बुक में जारी दिशा निर्देश के पृष्ठ संख्या 15 के बिन्दु 2.10 का संज्ञान लें। शिविर में गुणवत्तापरक परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान की जाएं तथा इस हेतु प्रमुख सचिव महोदय के पत्र सं0 प0क0/10–जे0डी0/247/2015/3419–4, दिनांक 20.03.2015 में दिए गये निर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा नवीन "स्टैण्डर्डस एवं क्वालिटी एस्योरेन्स इन स्ट्रलाईजेशन सर्विसेज" बुक में जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए।**

हितग्राही की काउन्सलिंग अवश्य करें और सम्बंधित रिकार्ड को रजिस्टर पर अंकित करें। प्रत्येक शिविर 05 काउन्टर अप्रोच के आधार पर आयोजित किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन, काउन्सिलिंग, स्क्रीनिंग, पैथालॉजी एवं भुगतान। पी.एफ.एम.एस पोर्टल के माध्यम से पेमेन्ट किये जाने हेतु जारी शासनादेश के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु काउन्टर पृथक से बनाये जाये, साथ ही उनका विधिवत डिसप्ले भी शिविर स्थल पर अवश्य कराया जाये। लाभार्थी को क्षतिपूर्ति भुगतान पी.एफ.एम.एस पोर्टल के माध्यम से उसके घर जाने से पूर्व प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु अनुभाग द्वारा प्रेषित पत्र सं0 एन. एच.एम./ एस.पी.एम.यू./एफ.डब्ल्यू/70–4/2015–16/2096–2, दिनांक 26.06.2015 का अवलोकन करने का कष्ट करे। नसबन्दी शिविर हेतु प्रति शिविर अनुमोदित बजट का व्यय निम्न विवरणानुसार किया जाना है–

क्र0	गतिविधि	धनराशि (रू0 में)
1	कैम्प आयोजन के लिए जेनरेटर हेतु पी0ओ0एल0	1000.00
3	चारपाई/काट/तख्त, गद्दा/मैटरेस, चादर, रजाई/कम्बल, टेण्ट आदि (आवश्यकतानुसार)	1500.00
4	विविध व्यय	1000.00
	कुल योग	**3500.00**

- प्रतिमाह आयोजित होने वाले नसबन्दी शिविर हेतु आशा, ए0एन0एम0 व ऑगनबाड़ी (ए.ए.ए.) की बैठक में चर्चा की जाए।
- जेनरेटर लागबुक मेण्टेन किया जाए।
- वास्तविक लाभार्थी के आधार पर चारपाई आदि की व्यवस्था की जाए।

आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.3.1.3

महिला नसबंदी हेतु क्षतिपूर्ति धनराशि का प्रावधान

महिला नसबंदी हेतु क्षतिपूर्ति धनराशि रु0 2000/– प्रति लाभार्थी की दर से अवमुक्त की जा रही है इस राशि (रुपये में) का उपभोग निम्न तालिका अनुसार ड्रग्स एवं ड्रेसिंग, प्रेरक, सर्जन आदि के भुगतान हेतु किया जाएगा–

लाभार्थी	प्रेरक/ आशा	ड्रग्स और ड्रेसिंग	सर्जन प्रोत्साहन राशि	एनेस्थेटिस्ट/ सहयोगी चिकित्सक	नर्स/ ए.एन.एम.	ओ.टी. टेक्न/एल.टी. /सहायक	वार्ड ब्वाय /आया	स्वीपर	क्लर्क/ डाक्यूमेन्टेशन	रिफ्रेशमेन्ट	अन्य विविध	योग
1400.00	200.00	100.00	150.00	50.00	30.00	15.00	09.00	06.0(	20.00	10.00	10.00	2000.00

प्रसव पश्चात महिला (पी0पी0एस0) नसबंदी हेतु क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 3000/– प्रति लाभार्थी की दर से अवमुक्त की गयी है। इस धनराशि (रुपये में) का उपभोग निम्न तालिका अनुसार ड्रग्स एवं ड्रेसिंग, प्रेरक, सर्जन आदि के भुगतान हेतु किया जाएगा–

लाभार्थी	प्रेरक/ आशा	ड्रग्स और ड्रेसिंग	सर्जन प्रोत्साहन राशि	एनेस्थेटिस्ट/ सहयोगी चिकित्सक	नर्स/ ए.एन.एम.	ओ.टी. टेक्न/एल.टी. /सहायक	वार्ड ब्वाय /आया	स्वीपर	क्लर्क/ डाक्यूमेन्टेश	रिफ्रेशमेन्ट	अन्य विविध	योग
2200.00	300.00	100.00	250.00	50.00	50.00	25.00	15.00	10.00	0	0	0	3000.00

नसबन्दी के उपरान्त लाभार्थी को दी जाने वाली दवाईयों के सन्दर्भ में महानिदेशक प0क0 द्वारा प्रेषित पत्र संख्याः प0क0/ 10–जे0डी0./1060/2008/1075–70, दिनांकित 29.05.2008 के अनुसार दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.3.1.4

पुरूष नसबंदी हेतु क्षतिपूर्ति धनराशि का प्रावधान

पुरूष नसबंदी हेतु क्षतिपूर्ति धनराशि रु0 2700/– प्रति लाभार्थी की दर से अवमुक्त की जा रही है इस राशि (रुपये में) का उपभोग निम्न तालिका अनुसार ड्रग्स एवं ड्रेसिंग, प्रेरक, सर्जन आदि के भुगतान हेतु किया जाएगा –

लाभार्थी	प्रेरक/आशा	ड्रग्स और ड्रेसिंग	सर्जन प्रोत्साहन राशि	एनेस्थेटिस्ट/सहयोगी चिकित्सक	नर्स/ए.एन.एम.	ओ.टी. टेक्न/एल.टी./सहायक	वार्ड ब्वाय/आया	स्वीपर	क्लर्क/डाक्यूमेन्टेश	रिफ्रेशमेन्ट	अन्य विविध	योग
2000.00	300.00	50.00	250.00	0	30.00	15.00	09.00	06.00	20.00	10.00	10.00	2700.00

नोटः– महिला व पुरूष नसबंदी हेतु उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि नवीन शासनादेश सं0 1675 (2)पांच–9–2014–9(222)/14, दिनांक 13.12.2014 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या 645/पाँच–9–2015–9(222)/14 दिनांक 14.05.2015 के अनुसार प्रभावी रहेगी ।

आई0यू0सी0डी0 सेवाएं

नियत दिवस पर आई0यू0सी0डी0 सेवायें (एफ0एम0आर0 कोड संख्या ए.3.2.2)

प्रदेश में नसबंदी सेवाओं के अतिरिक्त अंतराल विधियों की समुदाय में ग्राहयता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से उपकेन्द्र स्तर तक नियत दिवस पर आई0यू0सी0डी0 इन्सरशन सेवाएं प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं की जनपद स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विगत 03 वर्षों से एच0एल0एफ0पी0पी0टी0 संस्था द्वारा समस्त जनपदों में ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 तथा स्टाफ नर्स को प्रशिक्षित किया गया है तथा वर्तमान में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षित सेवाप्रदाताओं द्वारा अपने तैनाती स्थल पर आई0यू0सी0डी0 इन्सरशन किया जाए। आई0यू0सी0डी0 किटों को जनपद स्तर पर क्रय किये जाने हेतु धनराशि विगत वित्तीय वर्ष में निर्गत की गयी थी तथा आर0सी0 भी उपलब्ध थी। सेवाप्रदाता द्वारा आई0यू0सी0डी0 इन्सरशन लाभार्थी का पूर्ण विवरण अपने पास निर्धारित प्रारुप पर संकलित किया जाए तथा निर्धारित समय पर फालोअप किया जाए। **प्रत्येक आई.यू.सी.डी. निवेशन केस के लिए प्राविधानित क्षतिपूर्ति राशि को शासनादेश संख्या–3437/5–9–07–6(17)/89–टीसी, दिनांकित 18.10.2007 में निहित व्यवस्थानुसार प्रति लाभार्थी औषधि एवं ड्रेसिंग हेतुरू0 20/– की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है।** जिस किसी स्वास्थ्य केन्द्र पर यह सुविधा दी जा रही है उसके द्वारा प्रतिमाह अलग से क्लीनिक दिवसों की रिपोर्ट जनपद मुख्यालयों के जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों के माध्यम से राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाएंगी। पूर्व में महानिदेशक प0क0 स्तर से जारी दिशा निर्देश **पत्र सं0 प0क0/10–जे0डी0/1060/2011/139–71, दिनांक 14.01.2011** के क्रम में सेवा केन्द्रों पर कॉपर टी लगाते समय उपयोग की जाने वाले संक्रमण सम्बन्धी औषधियों का विवरण निम्नवत है –

- Iodine Povidine 2.5% or Chlorehexadine solution for infection prevention.
- कॉपर टी लगाने के उपरांत लाभार्थी को दी जाने वाली दवाओं का विवरणः–
  - Tablet Ibuprofen 400mg (Thrice a day for 3 days).
  - Tablet Secnidazole (Single Dose)
  - Tablet (Omeprazole) for gastritis as required
  - Tablet Fluconazole 150 mg (single Dose)
  - Tablet Cotrimoxazole & Trimethoprim DS(Twice a day for 05 days)
  - Tablet B complex (Twice a day for 05 days)

Tablet Secnidazole (Single Dose) की अनुपलब्धता की स्थिति में Tablet Metronidazole का प्रयोग किया जा सकता है इसी प्रकार Tablet Tablet Cotrimoxazole & Trimethoprim DS की अनुपलब्धता या रिएक्शन की स्थिति उपलब्धता अनुसार किसी एक एन्टीबायोटिक का चुनाव किया जा सकता है।

नोटः– औषधियों/सामग्रियों आदि का क्रय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमानुसार क्रय किया जाए तथा सम्बन्धित इकाईयों को उनकी मॉग/आवश्यकता के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

उक्त मद में देय धनराशि का उपयोग कन्ज्यूमेबल के साथ–साथ संक्रमण से बचाव एवं गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान किये जाने हेतु उपयोगित किया जाए।

प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन किए जाने हेतु सेवाप्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.3.2.3)

विदित है कि इस योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन की विधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पोस्ट पार्टम आई.यू.सी.डी. इनसरशन सेवाओं का शासनादेश लागू किया गया है, जो **शासनादेश सं0 1319/पांच–9–2014–9(113)/05, द्वारा दिनांक 09 सितम्बर 2014** से प्रभावी है। इस विधि को बढ़ावा देने के लिये कार्य आधारित प्रोत्साहन योजना के द्वारा सेवाप्रदाताओं को प्रोत्साहन राशि नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है –

सेवाप्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) को उनके सामान्य कार्य के अतिरिक्त प्रति पोस्ट पार्टम आई.यू.सी.डी. इनर्सशन किये जाने पर रु0 150.00 का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

जिन स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रशिक्षित सेवा प्रदाता उपलब्ध हैं तथा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं केवल उन्हीं केंन्द्रों पर राज्य स्तर से अवमुक्त धनराशि को हस्तांतरित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सेवा प्रदाता को किये गये कार्य के प्रति प्रोत्साहन राशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से हस्तांतरित की जाए। पी0पी0आई0यू0सी0डी0 संबन्धित सेवाएं प्रदान कर रही इकाईयों द्वारा प्रतिमाह सम्बन्धित रिपोर्ट नियत फार्मेट पर जनपद मुख्यालयों के जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाईयों के माध्यम से राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाएंगी। वर्तमान में जपाईगों संस्था द्वारा संबन्धित रिपोर्टों का जनपदवार संकलन किया जा रहा है। अतः उक्त रिपोर्टें संस्था को भी प्रेषित की जाएं।

नोट : समस्त प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन अपनाने वाले हितग्राही से बेडहेड टिकट/केसशीट पर सहमति लिया जाना अनिवार्य है।

आशाओं द्वारा यदि जिला महिला चिकित्सालय में प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन कराया जाता है तो सम्बन्धित आशा के खाते में प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन की प्रोत्साहन राशि का भुगतान जे0एस0वाई0 की भाँति पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जाए। पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन का प्रमाण पत्र पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन करने वाले सेवाप्रदाता द्वारा इकाई प्रमुख के हस्ताक्षर से आशा के पक्ष में निर्गत किया जाए।

यह स्पष्ट किया जाता है कि रिपोर्ट प्रेषित किये जाने से पूर्व रिपोर्ट का भली भाँति परीक्षण चिकित्सा केन्द्रों पर गठित वैलिडेशन कमेटी द्वारा किया जाए। विसंगति की दृष्टि में जनपद उत्तरदायी माना जाएगा। इसी प्रकार सेवाप्रदातावार उपलब्धि को भी वैलिडेट किया जाए और अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित की जाए।

आशा, ए.एन.एम. एवं आंगनवाड़ी का अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक (एफ.एम.आर. कोड ए.3.2.5)

प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक स्तर पर संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों यथा– 'होम डिलीवरी ऑफ कान्ट्रासेप्टिव थ्रू आशा व इन्श्योरिंग स्पेसिंग एट बर्थ' के साथ परिवार नियोजन सेवाओं की मांग समुदाय के मध्य बढ़ाने हेतु सामुदायिक स्तरीय कार्यकर्ताओं को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध मे जागरूक किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक ब्लाक स्तर पर आशा, ए.एन.एम. एवं आंगनबाड़ी के क्षमता वर्धन हेतु त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी है। बैठक का उद्देश्य कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन एवं उनकी क्षमता वृद्वि करना है। आशाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशियों के बारे में जागरूक किया जाना भी इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। इस बैठक को ब्लॉक के प्रभारी चिकित्साधिकारी, एच0ई0ओ0, ए0आर0ओ0 बी0पी0एम0, बीसी0पी0एम0, एवं चिन्हित आशा संगिनी द्वारा संबोधित किया जायेगा। उक्त सभी का जनपद स्तर पर बैठक में अभिमुखीकरण किया जायेगा। **समस्त जनपदों में उक्त बैठक हेतु प्रति ब्लाक प्रति त्रैमास अधिकतम रू0 10000.00 की दर से तथा जनपद स्तर पर एक बैठक हेतु रु0 10000.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है।** आशा को उसके कार्यक्षेत्र के लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन सेवायें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किये जाने हेतु काउन्सलिंग की आधारभूत जानकारियाँ प्रदान करके क्षमता वर्धन भी किया जाए। निर्गत की गई धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए–

क्र0	मद	दर (धनराशि रू0 में)
1	उपस्थित प्रतिभागियों हेतु जलपान	25.00 प्रति प्रतिभागी
2	बैठक हेतु बैनर	500.00
3	विविध व्यय	500.00

जनपद स्तर पर परिवार नियोजन मैनुअल एवं दिशानिर्देश सम्बंधी अभिमुखीकरण कार्यशाला पर अपडेट विषयक (एफ0एम0आर0 कोड सं0 ए.3.2.6)

जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/सेवा प्रदाताओं के कौशल वृद्धि हेतु एक दिवसीय कार्यशाला/गोष्ठी "Dissemination of FP manuals and Guidelines" विषयक का आयोजन किया जाना है। इस गतिविधि हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रति कार्यशाला रु0 20,000.00 की धनराशि प्राविधानित है। इस **कार्यशाला में परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों, जिला चिकित्सालय (पुरूष एवं महिला) के अधीक्षक/अधीक्षिका, सामु0स्वा0के0/ब्लाक प्रा0स्वा0के0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी, महिला एवं पुरुष नसबन्दी के सेवाप्रदाता, एच0ई0ओ0 इत्यादि द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। साथ ही कार्यशाला में परिवार कल्याण सेवाओं के लिये चयनित हौसला साझीदारी के अन्तर्गत एवं जिला क्वालिटी एस्योरेन्स कमेटी द्वारा प्राधिकृत मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों के विशेषज्ञ/सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिभाग किया जाना आवश्यक हैं।**

इस कार्यशाला/गोष्ठी में परिवार नियोजन कार्यक्रम की गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित नसबंदी मानकों, परिवार नियोजन बीमा योजना(एफ0पी0आई0एस0), विसंक्रमण, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आदि पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस कार्यशाला में नवम्बर 2014 में जारी "तकनीकी मैनुअल नसबन्दी स्टैण्डर्डस क्वालिटी एश्योरेन्स" मैनुअल की प्रतियां भी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। ये कार्यशालायें इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायी जानी हैं। इस गतिविधि के लिये कुल बजट रु0 20,000.00 निम्नानुसार प्राविधानित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	मद	दर	कुल व्यय *(धनराशि रू0 में)* (सम्भावित 40 प्रतिभागी)
1	प्रशिक्षण मैनुअल (फोटोकापी/प्रिण्टिग), सी0डी0, पेन फोल्डर, पैड आदि।	रु. 200.00 प्रति प्रतिभागी	8000.00
2	स्वल्पाहार	रु. 150.00 प्रति प्रतिभागी	6000.00
3	विविध व्यय – स्टेश्नरी, बैनर, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, फोटोग्राफी आदि की व्यवस्था।		6000.00
	कुल योग		20,000.00

नोटः– मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी इसके सम्बन्ध में कार्ययोजना राज्य मुख्यालय को प्रेषित करें, ताकि राज्य स्तर से उन बैठकों में प्रतिभाग किया जाए। मण्डलीय प्रबन्धक तथा अपर निदेशक चि0स्वा0 एवं प0क0 इस हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करें।

शिविरों में सर्जन टीम व लाभार्थियों हेतु परिवहन व्यवस्था के लिए– (POL)
(एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.3.3)

जनपद में नसबंदी हेतु लगाए जाने वाले नियत दिवस शिविरों में सर्जन टीम के आवागमन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शिविर हेतु रू0 1000.00 की दर से अतिरिक्त धनराशि पी0ओ0एल0 (परिवहन व्यवस्था) हेतु निर्गत की जा रही है। **सात जनपदों गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराईच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी व सीतापुर में क्लिनिकल आउटरीच टीमें संचालित की जा रही हैं, जिसके लिए आवागमन की पृथक व्यवस्था एफ0एम0आर0कोड संख्या बी. 18.4 पर की गयी है। इसी प्रकार एफ0एम0आर0कोड संख्या ए. 3.5.5.8 पर मण्डल स्तर पर सरकारी क्लिनिकल आउटरीच टीमें संचालित की जाएगीं जिनके द्वारा मण्डल के आच्छादित जनपदों मे प्रतिदिन आयोजित शिविरों में अपनी सेवायें प्रदान की जाएगीं।** इन क्लिनिकल आउटरीच टीमों को प्रारम्भ किये जाने का उद्देश्य जनपदों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नियत दिवस शिविर आयोजित किया जाना है। इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नियत दिवस शिविर आयोजित किये जाएंगें। इन क्लिनिकल आउटरीच टीमों से जनपदों में प्रस्तावित कुल शिविरों का आच्छादन होने के पश्चात शेष बचे शिविरों में सर्जन टीम भेजने हेतु यह धनराशि वित्तीय नियमानुसार उपयोगित की जा सकेगी। उपरोक्त वर्णित सात जनपदों के अतिरिक्त 68 जनपदों में मण्डलीय क्लिनिकल आउटरीच टीमों द्वारा आच्छादित होने से वंचित शिविरों में सर्जन टीम भेजने हेतु यह धनराशि वित्तीय नियमानुसार उपयोगित की जा सकेगी।

लेप्रोस्कोप मरम्मत हेतु धनराशि व्यवस्था (एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.3.4)

जनपद में मरम्मत योग्य लेप्रोस्कोप की मरम्मत हेतु प्रति लेप्रोस्कोप रू0 25000.00 की दर से धनराशि महानिदेशालय परिवार कल्याण के स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निर्गत की जाएगी। **नोडल अधिकारी परिवार कल्याण का यह दायित्व होगा कि जनपद में मरम्मत योग्य लेप्रोस्कोप की सूचना महानिदेशालय परिवार कल्याण को प्रेषित करें।** राज्य स्तर पर संयुक्त निदेशक परिवार कल्याण द्वारा इस सूचना को संकलित एवं संग्रहित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं।

जिला स्तरीय प0क0 नोडल अधिकारियों/क्वालिटी एश्योरेन्स कमेटी की बैठक (एफ0एम0आर0 कोड–ए.3.5.1)

प्रदेश में स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार लाने के लिये केवल लक्ष्य प्राप्ति ही उद्देश्य नहीं है अपितु गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के अभाव में लाभार्थी के संतुष्ट न होने की दशा मे वे चिकित्सालय पर वापस नहीं आते एवं परिवार नियोजन साधनों का प्रयोग भी बंद कर देते हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित गतिविधियों में गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जिला स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी का गठन **शासनादेश सं0 एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./543/पांच–9–14–9 (293)213, दिनांक 03.07.2014** तथा **चिकित्सा अनुभाग–9 के पत्र संख्याः UO.80/5.9.15 दिनांक 30.10.2015** द्वारा किया जा चुका है।

शासनादेश संख्याः UO.80/5.9.15 दिनांक 30.10.2015 के अनुसार परिवार कल्याण के अन्तर्गत गठित उपसमितियॉ (परिवार नियोजन इण्डैमनिटी उपसमिति एवं जनपद स्तरीय एक्रेडिटेशन एवं इम्पैनलमेण्ट उपसमिति) शासनादेश में वर्णित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्यदायित्वों का निर्वहन करेंगी। जिला स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी द्वारा प्रत्येक तिमाही, जनपद में परिवार नियोजन के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी सेवाप्रदाताओं की सूची को अद्यतन किया जाएगा। साथ उक्त तिमाही में जनपद में हुए सभी नसबन्दी केसों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी। नसबन्दी के फलस्वरुप मृत्यु/असफलता/जटिलता केसों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी।

जिला क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी तथा उपसमिति द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यः

- क्वालिटी एश्यारेंस कमेटी द्वारा सम्बन्धित जनपद में नसबंदी के कारण होने वाले मृत्यु के प्रकरण की जांच कर राज्य क्वालिटी एश्यारेंस कमेटी को अवगत कराना।
- नसबंदी के कारण उत्पन्न होने वाली जटिलता एवं विफलता के प्रकरणों की जानकारी इकट्ठा करना एवं राज्य कार्यालय को सूचित करना।
- फैमिली प्लानिंग इन्डेमनिटी स्कीम के अन्तर्गत मिलने वाले मुआवजे यथा– जटिलता, विफलता आदि के केसों में लाभार्थियों को एवं मृत्यु के केसों में लाभार्थियों के सम्बन्धी/आश्रितों को निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर यथाशीघ्र मुआवजे दिलाने की कार्यवाही को पूर्ण करना।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के सरकारी एवं अभिप्रमाणित निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं एवं नसबंदी हेतु आयोजित किए जाने वाले शिविरों का नियमित पर्यवेक्षण कर गुणवत्ता के मापदंडों को सुनिश्चित कराना एवं उससे सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी करना।
- प्रत्येक तिमाही मे एक बार बैठक का आयोजन किया जाए।
- उक्त कमेटी की होने वाली बैठक में कम से कम 2/3 (दो तिहाई) सदस्य होने आवश्यक है।

जनपद स्तर पर क्वालिटी एश्यारेंस कमेटी की बैठकें प्रत्येक तिमाही में प्रस्तावित है, जिसके लिए **रू0 2000/– प्रति जनपद प्रति तिमाही** की दर से धनराशि का निम्नवत प्राविधान किया जा रहा है :

(धनराशि रू0 में)

क्रम	मद	कुल व्यय
1	प्रतिभागियों हेतु जलपान/रिफ्रेशमेंट	1500.00
2	विविध व्यय,बैनर,फोटोग्राफ एवं अभिलेखीकरण आदि की व्यवस्था।	500.00
	कुल योग	**2,000.00**

मण्डलीय समीक्षा बैठकों का आयोजन (एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.3.5.2)

मण्डल स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा कर प्रगति आंकलन, बाधाओं/समस्याओं का चिन्हीकरण व रणनीति निर्माण किये जाने हेतु प्रति त्रैमास समीक्षा बैठकों का आयोजन मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में किया जाएगा। मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वो मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मण्डलायुक्त के साथ समन्वय कर पूर्व प्रेषित (के0पी0आई0 व मण्डलीय समीक्षा बैठक) फार्मेट पर उक्त समीक्षा बैठक आयोजित करें। **इस बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल आफिसर (परिवार कल्याण), मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला लेखा प्रबन्धक एवं एम.ओ. आई.सी आदि प्रतिभाग करेंगे।** उक्त बैठक में इकाईवार, विधिवार सेवाप्रदातावार कार्य प्रगति की समीक्षा के साथ संसाधनों की उपलब्धता की भी समीक्षा की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्त बैठक त्रैमास की समाप्ति के पश्चात अधिकतम 02 सप्ताह की समय सीमा में आयोजित की जाए एवं बैठक का कार्यवृत्त 01 सप्ताह के अंदर राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जाए। मण्डल स्तर पर बैठक के आयोजन हेतु **प्रति मण्डल रू0 20,000.00 प्रति त्रैमास** की दर से धनराशि का निम्नवत प्राविधान किया जा रहा है –

क्र0	मद	दर (धनराशि रू0 में)
1	प्रतिभागियों हेतु जलपान एवं लंच	रु0 150.00 प्रति प्रतिभागी
2	प्रतिभागियों हेतु स्टेशनरी –पैन,पैड एवं फोल्डर	रु0 50.00 प्रति प्रतिभागी
3	विविध व्यय, बैनर, फोटोग्राफ एवं अभिलेखीकरण आदि की व्यवस्था।	रू0 1000.00

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व जनसंख्या दिवस आयोजन से सम्बंधित गतिविधियॉ (एफ. एम.आर. कोड संख्या ए.3.5.3 एवं ए.3.5.4)

प्रत्येक वर्ष दिनांक 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रुप में मनाया जाता है। इस वर्ष की समस्त गतिविधियॉ सम्पन्न हो चुकी हैं तथा सम्बन्धित बजट तत्समय दिशा निर्देशों के साथ जनपदों को अवमुक्त किया जा चुका है। गतिविधि किये जाने हेतु **प्रेषित पत्र संख्याः एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./डब्ल्यू.पी.डी./138/2016–17/3155–75, दिनांकित 05.07.2016** का संज्ञान लें।

परिवार नियोजन प्रपत्र/रजिस्टर आदि का मुद्रण (एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.3.5.5.1)

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोग में आने वाले विभिन्न मैनुअल/प्रपत्र/रजिस्टर आदि के मुद्रण हेतु धनराशि निम्नानुसार व्यय की जानी है –

Sl.	Items	Unit Rate (in Rs.)
1.	Printing of Sterilization Register	150.00
2.	IUCDRegister for Centers	150.00
3.	PPIUCD Register	150.00
4.	Injectable Register	150.00
5.	Counselling Register	150.00
4.	Sterilization - Consent Form	5.00
5.	Medical Record Checklist for Sterilization Cases	5.00
6.	Sterilization - Certificate	5.00
7.	Post Operative Instructions Card	5.00

शासकीय एवं वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुए उक्त सामग्रियों का मुद्रण करवाना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि धनराशि प्राप्त होते ही निर्धारित प्रकिया का अनुपालन करते हुए सामग्री मुद्रित कराकर, समुचित रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जाए। मुद्रण हेतु उक्त सामग्रियों का प्रोटोटाईप स्पेसिफिकेशन के साथ गाईडलाईन के साथ प्रेषित किया जा रहा है। **इन्जेक्टेबल रजिस्टर का प्रोटोटाईप पृथक से प्रेषित किया जाएगा। मुद्रण कराये जाने हेतु प्रेषित पत्र संख्याः एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.डब्ल्यू./70–4/2015–16/7576–75, दिनांकित 26.10.2015** का संज्ञान लें।

पंचायतीराज संस्थाओं एवं योग्य दम्पत्तियों हेतु गतिविधियाँ (एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.3.5.5.2)

(अ)पुरुष नसबन्दी के संतुष्ट लाभार्थियों तथा प्रेरकों हेतु गोष्ठी का आयोजन (NSV Satisfied Client Meet)

स्वास्थ्य सम्बंन्धी कार्यक्रमों की सफलता हेतु समुदाय को जागरुक किया जाना आवश्यक है। साथ ही जनपद स्तर पर अर्न्तविभागीय समन्वय भी अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की भागीदारी नगण्य है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी विधा में पुरुषों की भागीदारी मात्र 0.2 प्रतिशत है।

पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के दृष्टिगत पुरुष नसबन्दी के संतुष्ट लाभार्थियों तथा प्रेरकों के अनुभवों को साझा कर अन्य पुरुषों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश के उच्च प्रजनन दर वाले 42 जनपदों (अलीगढ़, इलाहाबाद, अमरोहा, औरैया, बहराईच, बलरामपुर, बॉदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, चंदौली, चित्रकुट, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोण्डा, हरदोई, हाथरस, कन्नौज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सम्भल, भदोही, शाहजहॉपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर व सोनभद्र) में पुरुष नसबन्दी के संतुष्ट लाभार्थियों तथा प्रेरकों के साथ गोष्ठी का आयोजन जनपद स्तर पर नियत दिवस पर पुरुष नसबन्दी सप्ताह के पूर्व या दौरान किया जाना है। यह स्पष्ट किया जाना है कि पुरुष नसबन्दी मीट का आयोजन प्रत्येक माह की 21 तारीख को आयोजित हो रहे पुरुष नसबन्दी दिवस पर किया जाए, जिससे उस दिवस पुरुष नसबन्दी अपनाने वाले लाभार्थी की मनोस्थिति एवं अनुभव को उपस्थित जनसमुदाय से साझा किया जाए। इससे उपस्थित समुदाय में उस दिन भी सेवा प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो सकती है और स्व प्रेरित होकर पुरुष नसबन्दी को अपना सकता है। भविष्य में अन्य पुरुष भी प्रेरित होकर पुरुष नसबन्दी सेवायें अपनाकर स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। उक्त गोष्ठी का आयोजन जनपद स्तर पर किया जाना है। जनपद स्तर पर निम्नलिखित गतिविधियॉ उक्त गोष्ठी के सफल सम्पादन हेतु की जाएगी : –

- जनपद स्तर पर पूर्व में पुरुष नसबन्दी के समस्त लाभार्थियों की सूची तैयार की जाए।
- सूची के अनुसार सम्बन्धित लाभार्थियों को जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष/जिलाधिकारी का हस्ताक्षरित आमंत्रण पत्र प्रेषित किया जाए, जिस पर गोष्ठी का नियत दिवस, तारीख व स्थान अंकित हो।
- पत्र का प्रारुप ऐसा हो जिससे लाभार्थी अपने को गर्वान्वित महसूस करें।
- गोष्ठी में ऐसे प्रेरकों को भी आमंत्रित किया जाय जिनके द्वारा पूर्व में पुरुष नसबन्दी के लाभार्थियों को प्रेरित किया गया हो।
- गोष्ठी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों/स्थानीय गैरसरकारी संस्था/प्राइवेट पुरुष चिकित्सक/जनप्रतिनिधियों आदि को आमंत्रित किया जाय।
- गोष्ठी की फोटोग्राफी एवं डाक्यूमेंटेशन किया जाय।
- गोष्ठी में नियमानुसार जलपान की व्यवस्था की जाए।
- लाभार्थियों तथा प्रेरकों को जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाय।

जनपद स्तरीय गोष्ठी हेतु निम्नवत रू0 20,000.00 की व्यवस्था की गयी है :

क्रम	मद	दर (धनराशि रू0 में)
A.	अनुमानित 250 प्रतिभागी हेतु जलपान	10000.00
B.	विविध व्यय–आयोजन स्थल की व्यवस्था बैनर, फोटोग्राफी फूलमालाएं, डाक्यूमेण्टेशन, माईक एवं सम्मेलन पूर्व प्रचार प्रसार आदि।	10000.00
	कुल योग	**20000.00**

जनपद में आयोजित पुरुष नसबन्दी से संतुष्ट लाभार्थियों तथा प्रेरकों हेतु आयोजित गोष्ठी का रिपोर्टिंग प्रपत्र–

क्र0 स	सम्मेलन दिनांक	प्रतिभागी सं0					सम्पन्न गतिविधियां	टिप्पणी
		लाभार्थी	प्रेरक	अधिकारीगण	जनप्रतिनिधि	समुदाय		

(ब) पंच–सरपंच सम्मेलन

किसी भी कार्यक्रम को जनमानस तक पहुँचाने व सफल बनाने में जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनप्रतिनिधि की किसी विषय में जानकारी से उनके क्षेत्र की जनता भी स्वाभाविक रुप से जागरुक होगी। इसी धारणा के दृष्टिगत प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लाभ एवं उससे जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों को समाज से मिटाने के उद्देश्य से प्रदेश के उच्च प्रजनन दर वाले **42 जनपदों (अलीगढ़, इलाहाबाद, अमरोहा, औरैया, बहराईच, बलरामपुर, बॉदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, चंदौली, चित्रकुट, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोण्डा, हरदोई, हाथरस, कन्नौज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सम्भल, भदोही, शाहजहॉपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर व सोनभद्र) के 460 ब्लाकों** में ब्लाक स्तरीय पंच सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। इस सम्मेलन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को परिवार नियोजन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए, उनकी आशंकाओं का निराकरण भी किया जाए। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में परिवार नियोजन कार्यक्रम के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक अवगत कराया जाए। जनप्रतिनिधियों को इस विषय पर भी जागरुक किया जाय कि दो बच्चों के जन्म में तीन वर्ष या अधिक का अन्तर रखने से माँ के उत्तम स्वास्थ्य के साथ–साथ बच्चे के स्वस्थ लालन–पालन का अवसर मिलता है। जनप्रतिनिधियों के जागरुक होने से उनके द्वारा क्षेत्र की जनता को परिवार नियोजन सेवाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सकती है।

उक्त सम्मेलन में ब्लाक के सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी द्वारा अपने आवश्यक स्टाफ के साथ, ब्लाक प्रमुख/ब्लाक स्तरीय सम्मानित जनप्रतिनिधि/खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास एवं पुष्टाहार के ब्लाक स्तरीय अधिकारी एवं समस्त ग्राम प्रधानों को प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों/संस्थाओं के ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी के विवेकाधीन आमंत्रित किया जा सकता है।

उक्त सम्मेलन को सम्पादित कर, कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स एवं अन्य रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को अनिवार्य रुप से प्रेषित करें। पंच–सरपंच सम्मेलन हेतु निम्नानुसार रू0 10,000.00 की धनराशि की व्यवस्था की गयी है :–

(धनराशि रू0 में)

क्रम	मद	दर
1	अनुमानित 100 प्रतिभागी हेतु जलपान	7500.00
2	विविध व्यय– बैनर, फोटोग्राफी , डाक्यूमेण्टेशन, माईक एवं सम्मेलन पूर्व प्रचार प्रसार।	2500.00
कुल योग		**10000.00**

जनपद में आयोजित पंच–सरपंच सम्मेलन का रिपोर्टिंग प्रपत्र

क्रम सं0	सम्मेलन दिनांक	प्रतिभागी संख्या			सम्पन्न गतिविधियां	टिप्पणी
		ग्राम प्रधान	जनप्रतिनिधि	अधिकारीगण		

महिला परामर्शदात्रियों हेतु काउंसिलिंग कार्नर/रूम (परिवार कल्याण सलाह केन्द्र) की स्थापना (एफ. एम.आर. कोड संख्या ए.3.5.5.3)

परिवार नियोजन कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996 में इस कार्यक्रम को लक्ष्यमुक्त स्वैच्छिक कार्यक्रम घोषित किया गया है। इन स्थितियों में समुदाय को जागरुक किया जाना आवश्यक है। सामाजिक विषय होने की स्थितियों भ्रांतियों/रुढ़ियों विचारधाराओं को भी परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। इन परिस्थितियों में समाज में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से लक्ष्य दम्पत्तियों को विधियों में परामर्श प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वर्तमान में त्रिस्तरीय प्रणाली उपलब्ध है। ग्राम स्तर पर आशा के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दौरान उपस्थित समुदाय का परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों के सम्बन्ध में अभिमुखीकरण, प्रसव पूर्व देखभाल हेतु पंजीकरण किये जाने पर ए0एन0एम0, चिकित्सक अथवा काउन्सलर द्वारा विधियों पर परामर्श, प्रसव के दौरान अथवा पश्चात अस्पताल प्रवास के दौरान विधि विशिष्ट परामर्श प्रदान किया जाना है। **शादी के उपरान्त प्रथम गर्भधारण में विलम्ब और दो गर्भधारण के बीच कम–से–कम तीन वर्षो का अन्तराल (सीमित तथा सुनियोजित परिवार), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ ही जनसंख्या नियन्त्रित करने में परिवार कल्याण सलाह की भूमिका महत्वपूर्ण है।** प्रसव के बाद की अवधि महिला के जीवन में परिवार नियोजन अपनाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी समयावधि में महिला की प्रजनन क्षमता वापस आती है। उस समय गर्भनिरोधक उपयोगित किये जाने की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रसव के दौरान एवं प्रसव के पश्चात धात्री महिलाओं को परिवार नियोजन के सम्बन्ध में उचित परामर्श प्रदान किये जाने के बारे में **परिवार कल्याण सलाह केन्द्र एवं की भूमिका महत्वपूर्ण है।**

इस आशय की पूर्ति हेतु राज्य द्वारा चयनित जनपद स्तरीय इकाईयों एवं ब्लाक स्तरीय प्रथम रेफरल इकाइयों (FRUs) पर महिला परामर्शदात्रियों हेतु परिवार नियोजन सलाह केन्द्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जिन स्वास्थ्य इकाईयों में इस वर्ष काउंसिलिंग कार्नर/रूम की स्थापना की जानी है उनकी **सूची संलग्न** है।

काउंसिलिंग कार्नर/रूम की स्थापना हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं :–

परिवार नियोजन केन्द्र हेतु कक्ष/स्थान का चयन

- इन केन्द्रों को विकसित करने हेतु सी.एम.एस./एम.ओ.आई.सी./अधीक्षक द्वारा एक उचित कमरा अथवा कम से कम 100 sq.ft. क्षेत्र का चयन किया जाना है। परिवार कल्याण के नोडल पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा सी.एम.एस./एम.ओ.आई.सी. के मार्गदर्शन के अनुसार कमरे/क्षेत्र का चयन किया जाय।
- उक्त चयनित क्षेत्र/कमरे को प्रसव गृह, ए.एन.सी. वार्ड, महिला चिकित्सक, ओ.पी.डी. कक्ष के नजदीक होना चाहिए तथा कक्ष तक पहुंचने हेतु सुगम मार्ग हो।
- गोपनीयता हेतु केबिन में पर्दे/अपारदर्शी ग्लास का प्रयोग किया जाय।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार माध्यम (पोस्टर, लीफलेट इत्यादि) को इकाई पर समुचित रूप से प्रदर्शित किया जाए।

प्रदान की जाने वाली सेवायें

- इकाई पर तैनात परिवार कल्याण परामर्शदाता द्वारा प्रसूताओ, गर्भवती माताओं को परिवार नियोजन के Limiting/spacing विधियों के बारे में परामर्श प्रदान किया जाय।
- परिवार कल्याण की विभिन्न विधियों के लाभ एवं सामान्य प्रभाव लाभार्थियों को विस्तृत रूप से समझाये जायें, जिससे कि लाभार्थी अपनी इच्छा से गर्भनिरोधक का चयन करने में सक्षम हो सके।
- परामर्श प्रदान करने हेतु पिलप बुक, चार्ट, लीफलेट इत्यादि का प्रयोग किया जाय।
- लाभार्थी को जिले में परिवार कल्याण की सुविधा प्रदान करने वाले केन्द्रों एवं जिला स्वास्थ्य समिति से अभिप्रमाणित (Accredited) नर्सिंग होम की जानकारी भी दी जाय।
- परिवार कल्याण की विभिन्न विधियों को अपनाने पर सरकार द्वारा मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के बारे में भी परामर्शदाता द्वारा उल्लेख किया जाय।

- केन्द्र में जितनी भी प्रसव उपरान्त–कॉपर टी इनसर्शन की जाती हैं उन सभी लाभार्थियों का फालोअप संबंधित ए.एन.एम. / आशा एवं परामर्शदाता द्वारा आई.यू.सी.डी. फालोअप कार्ड के माध्यम से किया जाय।
- केन्द्र में जितनी भी प्रसव पश्चात नसबन्दी की जाती हैं उन सभी लाभार्थियों का फालोअप किया जाय।
- केन्द्र पर ओ.सी.पी. / ई.सी.पी. / कंडोम का वितरण ए.एन.एम. / एम.ओ. के परामर्श के बाद ही किया जाय तथा इसका विवरण आशा को भी उपलब्ध कराते हुए लाभार्थी की निरन्तरता सुनिश्चित की जाये।

फर्नीचर एवं उपकरण

- केन्द्र हेतु परिवार कल्याण सामग्री इत्यादि की व्यवस्था क्रय नियमों का पालन करते हुए जनपद द्वारा की जाए।
- परामर्श केन्द्र / क्षेत्र में कुर्सी / मेज की व्यवस्था की जाय।
- सभी रिकार्ड एवं अभिलेख सुरक्षित रखने हेतु एक स्टील अलमारी की व्यवस्था की जाय।
- केन्द्र में आने वाले सभी लाभार्थियों एवं उनके द्वारा अपनायी गयी परिवार नियोजन विधियों का रिकार्ड परिवार कल्याण परामर्शदाता द्वारा रखा जाय।

परिवार कल्याण केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रति इकाई रु0 35,000.00 की दर से निम्न विवरण के अनुसार धनराशि व्यय की जाए:–

Budget Breakup for RMNCHA Counselor Corner, Year-2016-17

S.N	Particular	Quantity	Amount (in Rs.)
1.	Privacy curtains or glass separator / Room partition (In of Single Room)	1	10000.00
2.	Light fitting with power backup facility, wiring etc.	1	2000.00
3	Waste Management purchase of bins	1	500.00
4	Signage	1	3000.00
5	Steel Almirah	1	5000.00
6	Table	1	2500.00
7	Chairs	3	4000.00
8	Supply of IUCD, OCP,ECP, Condoms	1	0.00
9	IEC Materials (Chart, Pamphlets, having the list and de of service providers)	1 set	3000.00
10	Client Record Register & Other register related to FP	5	To be provided by Dist
11	IUCD/PPIUCD Registration and Follow up cards	As per load	To be provided by Dist
12	Miscellaneous (Other items needed for corner)		5000.00
	Total		**35,000.00**

उपरोक्त के अतिरिक्त नवनियुक्त परिवार कल्याण परामर्शदाताओं हेतु दो एप्रेन क्रय किए जाने हेतु प्रति परामर्शदाता रु0 800 / – की धनराशि व्यवस्था की गयी है। एप्रेन का रंग पिंक निर्धारित किया गया है।

विश्व पुरुष नसबन्दी सप्ताह का आयोजन (एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.3.5.5.6)

प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वित्तीय वर्ष में भी नवम्बर माह में जनपद एवं ब्लाक स्तर पर विश्व पुरुष नसबन्दी सप्ताह का आयोजन किया जाना है। जिस हेतु भारत सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त विस्तृत दिशा निर्देश जनपदों को प्रेषित किया जाएगा। जनपद स्तरीय गतिविधियों हेतु रु0 25,000.00 एवं ब्लाक स्तरीय गतिविधियों हेतु रु0 10,000.00 की दर से बजट जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया गया है।

परिवार नियोजन सेवाओं हेतु मण्डलीय क्लिनिकल आउटरीच टीम का गठन (एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.3.5.5.8)

परिवार नियोजन सेवाओं की ग्राह्यता समुदाय में बढ़ाने के प्रति गुणवत्तापरक सेवाओं की उपलब्धता नितान्त आवश्यक है। इन परिस्थितिओं में 17 मण्डलों पर राजकीय क्लिनिकल आउटरीच टीम (देवीपाटन मण्डल को छोड़कर) की स्थापना की गई है। उक्त क्लिनिकल आउटरीच टीमें मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के दिशा निर्देशों में कार्य करेगीं। मण्डलीय अपर निदेशक

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का उत्तरदायित्व होगा कि वो मण्डल से आच्छादित जनपदों में उपलब्ध सेवाप्रदाताओं के माध्यम से ही टीम का गठन करें। **इस सम्बन्ध में प्रेषित पत्र प्रेषित पत्र संख्याः एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.डब्ल्यू./70–4/2015–16/630–2, दिनांकित 26.04.2016 का संज्ञान लें।** तद्नुसार मण्डलीय मोबाईल टीम की स्थापना पत्र में दिये गये निर्देशों तथा उसके साथ संलग्नित प्रारुपों व दिशा निर्देशों के अन्तर्गत 17 मण्डलीय टीमों में गठन कर मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल आफिसर, परिवार कल्याण के साथ बैठक कर शिविर कैलेण्डर तैयार करते हुए, उसके अनुसार शिविर आयोजन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त मोबाईल टीम मण्डल मुख्यालय पर तैनात की जाएगी, जो कि निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार दूर दराज क्षेत्रों में जाकर सेवायें प्रदान करेगी। **टीम की मोबिलिटी हेतु वाहन उपलब्ध कराया जाना है। वाहन उपलब्ध कराये जाने की पूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गाईडलाईन के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से की जाएगी। मोबिलिटी सपोर्ट के वाहन को अनुबन्ध पर लिये जाने हेतु बजट 17 मण्डलीय मुख्यालय के जनपदों (गोण्डा को छोड़कर) की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया गया है।**

सर्जन टीम को प्रति केस की दर से प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था निम्न विवरणानुसार की गयी है। जिसे 68 जनपदों (गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराईच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी व सीतापुर को छोड़कर) की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया गया है।

क्रम	गतिविधि	दर (धनराशि रू0 में)
1	सर्जन टीम हेतु वाहन व्यवस्था	50000.00 /माह/वाहन
2	प्रोत्साहन राशि अन्तराल महिला नसबन्दी हेतु	130.00 /प्रति सर्जन टीम/केस
3	प्रोत्साहन पुरुष नसबन्दी हेतु	155.00 /प्रति सर्जन टीम/केस

नोटः– प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रति शिविर 05 केस से अधिक करने पर ही दिया जाना है। सर्जन टीम को प्रदान की जाने वाली धनराशि इनहैन्सड कम्पनसेशन पैकेज शासनादेश, दिनांकित 14.05.2015 में चिन्हित व्यवस्था के अनुरुप डायरेक्ट बेनेफिसरी ट्रांसफर के माध्यम से सम्बन्धित के खाते में हस्तान्तरित की जाएगी। उक्त धनराशि समस्त जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की गई है।

फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी (**FPIS**)स्कीम (एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.3.6)

नसबंदी के कारण उत्पन्न हुई जटिलता, मृत्यु एवं असफलता से सम्बन्धित प्रकरणों में उचित मुआवजा प्रदान किए जाने हेतु जनपद स्तर पर **शासनादेश सं0 एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./543/ पांच–9–14–9 (293)213, दिनांक 03.07.2014** तथा **चिकित्सा अनुभाग–9 के पत्र संख्याः UO.80/5.9.15 दिनांक**

30.10.2015 द्वारा फैमिली प्लानिंग इंडेम्निटी उपसमिति का गठन भी किया गया है। समिति की उक्त बैठक आवश्यकतानुसार आहूत की जाय। उपसमिति की बैठक जिलाधिकारी/नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

उपसमिति द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य

- उप समिति द्वारा सम्बन्धित जनपद में नसबंदी के कारण होने वाली मृत्यु के प्रकरण की जांच कर राज्य क्वालिटी एश्यारेंस कमेटी को अवगत कराना है।
- नसबंदी के कारण उत्पन्न होने वाली जटिलता एवं विफलता के प्रकरणों की जानकारी एकत्रित कर, राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाये।
- समिति द्वारा फैमिली प्लानिंग इन्डेमनिटी स्कीम मैनुअल अक्टूबर 2013 तथा मार्च 2016 में प्रकाशित नवीन गाईडलाईन में किए गए प्राविधानो के अनुरूप नसबंदी के कारण होने वाली मृत्यु, विफलता एवं जटिलता के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने हेतु क्लेम फार्म को परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित अभिलेखों के साथ राज्य स्तरीय उपसमिति को निस्तारण हेतु समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जाये।
- उप समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाये।

उक्त के सन्दर्भ में महानिदेशक परिवार कल्याण के स्तर से प्रेषित **पत्र सं0 प0क0/10–जे0डी0/2016/3926–75, दिनांकित 29 अप्रैल 2016** में निर्गत गाईडलाईन का संज्ञान लें।

महिला परामर्शदात्रियों हेतु मानेदय व्यवस्था (एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.8.1.7.5.1)

महिला परामर्शदात्री हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यरत काउंसलरों को रू0 10,760.00 प्रतिमाह की दर से (राज्य स्तर पर जनपदों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर) 12 माह का मानदेय दिये जाने हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने वाले काउंसलरों को रू0 10,250.00 प्रतिमाह की दर से 06 माह का मानदेय दिये जाने हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

उक्त के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुमोदित धनराशि (रू0 10,760.00 प्रतिमाह) एक वर्ष से ज्यादा अवधि से कार्यरत परामर्शदात्रियों के लिए ही मान्य है। नवनियुक्त काउंसलरों को रू0 10,250.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत काउंसलरों को रू0 10,760.00 प्रतिमाह की दर से सम्बन्धित धनराशि समस्त जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल आफिसर, परिवार कल्याण, जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा कि परामर्शदात्रियों को नियुक्ति तिथि के अनुसार मानदेय निर्धारण करें।

परामर्शदात्रियों का कार्य मूल्यांकन प्रतिमाह ईकाई प्रभारी द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक त्रैमास पर कार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया राज्य मुख्यालय को संस्तुति के उपरान्त प्रेषित करने का दायित्व नोडल आफिसर, परिवार कल्याण, जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक का है। इकाई प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगें कि परामर्शदात्रियों द्वारा किये गये कार्य की रिपोर्ट और इकाई की रिपोर्ट पृथक से प्रेषित की जाएगी। परामर्शदात्रियों की रिपोर्ट में उनके द्वारा सम्पादित कार्यविवरण होगा, विशेषकर पी0पी0आई0यू0सी0डी0 व पी0पी0एस0 से सम्बन्धित। जबकि इकाई रिपोर्ट में परामर्शदात्रियों द्वारा किये गये कार्य का पूर्ण विवरण होगा।

प्रारूप– परिवार कल्याण परामर्शदाता

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

1. अपने कार्य के मूल्यांकन हेतु इस प्रपत्र का प्रथम भाग परामर्शदात्री स्वयं भरेगी तथा अपने हस्ताक्षर एवं तारीख अंकित करने के उपरांत संस्थागत प्रमुख को सौपेगी जिसकी प्रतिलिपि मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।

2. मूल्यांकनकर्ता इस प्रपत्र को मुख्य चिकित्सक एवं चिकित्सालय प्रमुख से चर्चा उपरांत भरेगा तथा पूर्णतया भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित कार्य मूल्यांकन प्रपत्र मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जाए।

मूल्यांकन वर्ष ....

संविदा कर्मी का नाम ....

तैनाती स्थल ....ब्लॉक..........................जनपद..........................

माह में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या ....

तैनाती की तिथि ....संविदा समाप्त होने की तिथि..........................

ए–परिवार कल्याण परामर्शदाता द्वारा भरा जाए	
जिले का नाम	
परामर्शदाता का नाम	
ज्वाइनिंग की तिथि / नवीनकरण की तिथि	
समीक्षा अवधि	
नियुक्ति स्थल	
संविदा समाप्त होने की तिथि	
प्राप्त किए गए अभिमुखीकरण प्रशिक्षण की तिथि – समयावधि, स्थान एवं आयोजित करने वाली संस्था का नाम	
पूरे वर्ष के दौरान लिए गए अवकाश – क्या आपने एक बार में 07 से अधिक अवकाश लिए है? यदि हॉं तो कारण बताएं	

बी– अभ्यर्थी (परामर्शदाता) का कार्य मूल्यांकन

परामर्शदात्री के वर्तमान कार्य के प्रति जानकारी, कुशलता, भूमिका व उसकी आवश्यकता का निर्धारण अंको के आधार पर किया जाए। प्रपत्र क ए भाग में 1 से 10 अंको का निर्धारण इस प्रकार से करें जैसे – 1 से 3 खराब, 4से 6 संतोषजनक, 7 से 9 उत्तम तथा अंक 10 सर्वश्रेष्ठ हेतु अंक दिए जाएं।

टेक्निकल / कार्यक्रम के प्रति जानकारी	खराब (1–3) अंक	संजोषजनक (4–6) अंक	उत्तम (7–9) अंक	सर्वश्रेष्ठ (10) अंक

तनावग्रस्त परिस्थितियों में कार्य योग्यता				
सुनने की कुषलता				
संचार कुषलता				
सेवार्थी के साथ व्यवहार				
आई.ई.सी सामग्री का प्रभावी रूप से उपयोग				
परामर्ष दिए गए केसों को क्रमानुसार रजिस्टर में नियमित चढाया जाता है अथवा नहीं ?				
कुल प्राप्त अंक				

सी– परामर्शदाता की कार्य योग्यता का मूल्यांकन

परामर्शदात्री के वर्तमान कार्य के प्रति योग्यता व उसकी आवश्यकता का निर्धारण अंको के आधार पर किया जाए। कुल स्कोर का प्रतिशत 1–100 अंको के आधार पर किया जाए (< 50 प्रतिशत, –1 अंक, 50–80 प्रतिशत –3 अंक तथा 80–100 प्रतिशत –5 अंक)

		पिछले 06 माह की उपलब्धियां			
क्र.	गतिविधि	सेवार्थी की सं0	कितने सेवार्थी द्वारापरिवार नियोजन विधियां अपनाई	प्रतिशत	दिए गए अंक
1	विभिन्न परिवार नियोजन विधियों को अपनाने हेतु ओ.पी.डी. में परामर्श दिए दम्पत्तियों की सं0 (कम से कम 250 केस / माह)				
2	परामर्ष दिए गए केसों में इंटरवल आई.यू.सी.डी. विधि अपनाने वाले सेवार्थी की संख्या				
3	परामर्श दिए गए केसों में महिला नसबंदी अपनाने वाले सेवार्थी की संख्या				
4	परामर्श दिए गए केसों में पुरूष नसबंदी अपनाने वाले सेवार्थी की संख्या				
5	प्रसव पश्चात नसबंदी सेवा हेतु परामर्श दिए गए सेवार्थी की संख्या				
6	परामर्श दिए गए केसों में प्रसव पश्चात नसबंदी विधि लेने वाले सेवार्थी की सं0				
7	प्रसव पश्चात आई यू.डी सेवा लेने हेतु प्रसव पूर्व / प्रसव पश्चात परामर्श दिए गए सेवार्थी की सं0				
8	कुल परामर्श दिए गए केसों में प्रसव पश्चात आई यू.डी सेवा लेने वाले सेवार्थी की सं0				
9	परामर्शदाता द्वारा कुल चिकित्सकीय समापन केस के 50 प्रतिशत आई यू.डी सेवा लेने वाले हेतु परामर्श प्रदान किए गए सेवार्थी की सं0 (एक सप्ताह के अंदर)				
10	परामर्शदाता द्वारा कुल चिकित्सकीय समापन केस के 50 प्रतिशत आई लगवाने वाले सेवार्थी की संख्या (एक सप्ताह के अंदर)				
11	स्तनपान हेतु परामर्श किए गए माताओं की सं0 जैसे– प्रसव के 1 घंटे बाद बच्चे को स्तनपान करवाना, जिसने स्वीकार किया हो (जिला महिला चिकितसालय स्तर पर 100 / माह एवं सी0एच0सी0 स्तरीय एफ0आर0यू0 पर 75 / माह)				

12..	सेवार्थी तथा माताओं को दी गई सेवा के संदर्भ में किए गए फालोअप की सं0 (नियमित स्तनपान, होने वाली जटिलताएं आदि)				

कुल 120 अंको में से प्राप्त किए गए अंक –

ग्रेडिंग (श्रेणी) – (< 40 प्रतिशत– खराब, 41–60 प्रतिशत–संतोषजनक, 61–80 प्रतिशत– उत्तम तथा झ 81 प्रतिशत – सर्वश्रेष्ठ)

मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका / एम.ओ.आई.सी. की टिप्पणी –

मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टिप्पणी –

हस्ताक्षर प0क0 परामर्शदाता	हस्ताक्षर सी.एम.एस. / एम.ओ.आई.सी.	हस्ताक्षर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

महिला परामर्शदात्रियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन (एफ.एम.आर. कोड संख्या ए.8.1.10.5)

पी.पी.आई.यू.सी.डी. एवं प्रसव पश्चात नसबंदी सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यरत महिला परामर्शदात्री को व्यक्तिगत कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्राविधान किया गया है। उक्त योजना संख्या आधारित तथा मात्र फैमिली वेलफेयर काउन्सलर तक ही सीमित है। प्रोत्साहन राशि दिये जाने के मानक निम्नानुसार हैं:–

- **पी.पी.आई.यू.सी.डी.**:–किसी प्रसव इकाई में किये गये कुल प्रसवों के सापेक्ष परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित कर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 30 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. निवेशन करवाये जाने की स्थिति में परामर्शदात्री को 30 प्रतिशत से अधिक हुए केसों हेतु प्रति केस रू0 50.00 की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाय। उदाहरणार्थ – यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किये जाते है जिसके सापेक्ष 50 पी.पी.आई.यू.सी.डी निवेशन होता है जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 35 पी.पी.आई.यू.सी.डी निवेशन कराया जाता है, उस स्थिति में 30 प्रतिशत से अधिक (31 से 35 केस तक) केस पर रू0 50/–प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि परामर्शदात्री को देय होगी।
- **प्रसव पश्चात नसबंदी सेवा**:–किसी प्रसव इकाई में किये गये कुल प्रसवों के सापेक्ष परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित करने पर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 15 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात नसबंदी करवाये जाने की स्थिति में, परामर्शदात्री को 15 प्रतिशत से अधिक हुए प्रति केस रू0 50.00 की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाय।

मिशन फ्लैक्सीपूल की गतिविधियॉ

प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. इनसर्शन करवाने हेतु लाभार्थी को प्रेरित किए जाने पर आशा को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दिया जाना (एफ.एम.आर. कोड संख्या बी 1.1.3.3.1) :

परिवार नियोजन की विधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पोस्ट पार्टम आई.यू.सी.डी. इनसर्शन सेवाओं सम्बन्धी शासनादेश लागू किया गया है, जो कि शासनादेश संख्या 1319/पांच–9–2014–9 (113)/05, दिनांक 09 सितम्बर 2014 से प्रभावी है। इस विधि को बढ़ावा देने के लिये आशा को प्रोत्साहन राशि नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है –

- आशा द्वारा क्लाइण्ट (लाभार्थी) को प्रेरित किए जाने एवं स्वास्थ्य केन्द्र पर संदर्भित कर इनसर्शन कराये जाने पर प्रति केस रु0 150.00 का भुगतान किया जाय।

आशा प्रोत्साहन राशि योजना (एफ.एम.आर. कोड संख्या बी 1.1.3.3.2 से बी 1.1.3.3.3 तक)

इस योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन की विधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **शासनादेश सं0 1345/5–10–13–एफ–15/12 टी.सी., दिनांक 12 सितम्बर 2013** से प्रभावी है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में आशाओं का सहयोग लिए जाने हेतु निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि अनुमन्य की गई है:–

- **विवाह के उपरांत 2 वर्षो तक अन्तराल विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित करने पर रू0 500.00 प्रति केस।**
- **दम्पत्ति जिनके 01 बच्चा है, को पहले एवं दूसरे बच्चे के जन्म में 03 वर्षों तक अन्तराल विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित करने पर रू0 500.00 प्रति केस।**

- 02 बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले पात्र दम्पत्तियों को स्थाई विधियों (महिला/पुरूष नसबन्दी) का परामर्श प्रदान कर चयन सुनिश्चित करने हेतु रू0 1000.00 प्रति केस।

जनपद स्तरीय धर्मगुरु व सामुदायिक नेताओं के साथ बैठक (एफ.एम.आर. कोड संख्या बी 14.6)

प्रदेश मे परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न समुदाय/सम्प्रदाय के धर्म गुरू, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इस बैठक में उक्त के अतिरिक्त, जनपद के जिला अधिकारी/अध्यक्ष–जिला स्वास्थ्य समिति, सी.डी.पी. ओ., जिला पंचायत अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों की प्रतिभागिता भी सुनिश्चित की जाये। बैठक में मातृ एवं शिशु मृत्यु के कारणों पर प्रकाश डाला जाय साथ ही उनके निराकरण में परिवार नियोजन सेवाओं की ग्राह्यता एवं महत्ता को समझाया जाय। इस हेतु धर्मगुरु व सामुदायिक नेताओं की भूमिका एवं सहयोग के सम्बंध में चर्चा की जाय और उनके द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाय। साथ ही प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में चर्चा की जाए। उक्त बैठकों के आयोजन हेतु जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में प्रति जनपद रू0 10,000.00 की दर से धनराशि की व्यवस्था की गयी है। धनराशि का व्यय निम्न मानकानुसार किया जाए :–

क्रम	मद	संख्या	दर	धनराशि (रू0 में)
1	प्रतिभागी–विभिन्न समुदाय/सम्प्रदाय के धर्मगुरू/ स्थानीय राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधि एवं नेता	50	-	-
2	प्रतिभागी हेतु स्टेशनरी–पेन, पैड, फोल्डर एवं आई.ई.सी सामग्री	50	50.00	2500.00
3	प्रतिभागी हेतु जलपान एवं भोजन	50	125.00	6250.00
4	विविध व्यय–बैनर, फोटोग्राफी, डाक्यूमेण्टेशन, बैठक व्यवस्था आदिं	1	1250.00	1250.00

परिवार नियोजन सेवाओं के अन्तर्गत उपकरण एवं किट का क्रयः–

एन0एस0वी0किट, आई0यू0सी0डी0किट, मिनीलैप किट व पी0पी0आई0यू0सी0डी0फोरसेप (एफ.एम.आर. कोड संख्या बी.16.1.3.1 से एफ.एम.आर. कोड संख्या बी.16.1.3.5 तक)

उक्त समस्त सामग्रियों का क्रय राज्य स्तर से जारी आर0सी0 के अनुसार क्रय नियमों का पालन करते हुए किया जाना है। आर0सी0 की कापी पृथक से प्रेषित की जाएगी। भारत सरकार द्वारा एन0एस0वी0किट हेतु अधिकतम धनराशि रु0 1000.00 प्रति किट, आई0यू0सी0डी0किट हेतु अधिकतम धनराशि रु0 3000.00 प्रति किट, मिनीलैप किट अधिकतम धनराशि रु0 2000.00 प्रति किट, पी0पी0आई0यू0सी0डी0फोरसेप अधिकतम धनराशि रु0 600.00 प्रति फोरसेप हेतु धनराशि अनुमोदित की गई है। **जनपदों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तर से आर0सी0 एवं स्पेसिफिकेशन की कापी भेजे जाने के उपरान्त आर0सी0 की दरों के अनुरुप अधिकतम सीमा के अन्तर्गत ही वित्तीय नियमानुसार क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।**

गुणवत्तापूर्ण आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन के लिए आई0यू0सी0डी0 कियोस्क (KIOSK) की स्थापना (एफ.एम.आर. कोड संख्या B16.1.3.6.5)

परिवार कल्याण कार्यक्रम में अन्तराल साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ने से अन्तराल साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपार सम्भावनायें हैं। अतः आई0यू0सी0डी0 के गुणवत्तापूर्ण निवेशन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु चिकित्सा संस्थाओं पर आई0यू0सी0डी0 कियोस्क की स्थापना की जानी है ताकि निजता के साथ आई0यू0सी0डी0 निवेशन की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा सके तथा इस कियोस्क के द्वारा आई0यू0सी0डी0 निवेशन की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एक ऐसा स्थान सुनिश्चित करना है जहॉ पर बिना किसी व्यवधान के सेवायें दी जा सकें और आई0यू0सी0डी0 निवेशन की सेवाओं को लोकप्रिय बनाया जा सके। राज्य द्वारा प्रथम चरण में चयनित जनपद स्तरीय इकाईयों एवं ब्लाक स्तरीय प्रथम सन्दर्भन इकाईयों पर आई0यू0सी0डी0

कियोस्क की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। जिन स्वास्थ्य इकाईयों में इस वर्ष आई0यू0सी0डी0 कियोस्क की स्थापना की जानी है उनकी **सूची संलग्न** है।

आई0यू0सी0डी0 कियोस्क की स्थापना के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

आई0यू0सी0डी0 कियोस्क की स्थापना के मापदण्ड एवं स्थान का चयनः–

- आई0यू0सी0डी0 कियोस्क की स्थापना हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, सामु0 स्वा0 केन्द्र अधीक्षक, प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा एक उचित कमरा अथवा कम से कम 50 Sq.ft क्षेत्र का चयन किया जाना है।
- गोपनीयता हेतु केबिन में पर्दे/अपारदर्शी ग्लास का प्रयोग किया जाना है।
- आई0यू0सी0डी0 कियोस्क की स्थापना यथा सम्भव महिला चिकित्सक के कक्ष के नजदीक/ महिला चिकित्सक के कक्ष में/आपरेशन थिएटर के नजदीक/लेबर रुम के नजदीक की जाए।
- आई0यू0सी0डी0 कियोस्क में गोपनीयता एवं निजता की व्यवस्था के साथ इस तरह का परीक्षण टेबल हो जिसे आसानी से धोकर साफ किया जा सके।
- आई0यू0सी0डी0 कियोस्क में या कियोस्क के निकट वाश–बेसिन (एल्बो टेप के साथ) की भी व्यवस्था की जाए।
- कमरे की दीवारों पर टाइल्स या कंकरीट हो, जिससे इसे आराम से धोया जा सके।
- कमरे की सभी खिड़कियों पर पर्दे हों।
- कमरे में आई0यू0सी0डी0 निवेशन की प्रक्रिया और आई0यू0सी0डी0 से सम्बन्धित जानकारियों के पोस्टर लगाये जाएँ।
- सूचना, शिक्षा और संचार माध्यम (पोस्टर, लीफलेट इत्यादि) एवं आई0यू0सी0डी0 सम्बन्धी परामर्श सामग्री की कियोस्क पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- आई0यू0सी0डी0 निवेशन और रिमूवल रजिस्टर उपलब्ध हो।

आई0यू0सी0डी0 कियोस्क के लिए आवश्यक उपकरण एवं सामग्रीः–

- Linen/cloth to cover the woman's pelvic area in sufficient numbers
- Kelly's pad
- Sterile Cheatle's forceps in a sterile container
- Mayo scissors
- Sponge holding forceps
- Sim's or Cusco's vaginal speculum-large, medium
- Small, Anterior vaginal wall retractor (If Sim's speculum is used)
- Vulsellum forceps curved/tenaculum,
- Uterine sound
- Long artery straight forceps (for IUCD removal)
- Kidney tray
- Stainless steel tray with cover (12"×8"×2")
- Small bowl for antiseptic solution
- Dry Gauze or Cotton swabs
- Antiseptic solution (chlorhexidine or povidone iodine)
- Plastic bowls or bucket for decontamination with lids/covers (3 in Nos.)
- Gloves (high-level disinfected/sterile surgical gloves or examination gloves)
- Clean hygienic sanitary pads
- IUCD (in an unopened, undamaged, sterile package and the date of expiry is not over)
- Pregnancy testing Kit
- Autoclave / Sterilizer / Boiler / container with lid/cover for boiling
- Torch

- Needle destroyer/Hub cutter and puncture proof box
- Cidex solution and cidex tray
- Emergency medicine tray with magnifying glass

फर्नीचर, उपकरण एवं रिकार्ड संधारणः–

- आई0यू0सी0डी0 कियोस्क हेतु परिवार कल्याण सामग्री इत्यादि की व्यवस्था वित्तीय एवं क्रय नियमों का पालन करते हुए चयनित संस्था द्वारा किया जाए।
- आई0यू0सी0डी0 कियोस्क हेतु परीक्षण टेबल (Examination table/Procedure table with foot stool) की व्यवस्था की जाए।
- आई0यू0सी0डी0 कियोस्क में कुर्सी और मेज की व्यवस्था की जाए।
- सभी रिकार्ड एवं अभिलेख सुरक्षित रखने हेतु एक अलमारी की व्यवस्था की जाए।
- आई0यू0सी0डी0 कियोस्क में आने वाले सभी लाभार्थियों का रिकार्ड एवं आई.यू.सी.डी. निवेशन करने वाले सेवाप्रदाता द्वारा सम्बन्धित रजिस्टर/फार्म में रखा जाए।
- आई0यू0सी0डी0 कियोस्क में आने वाले सभी लाभार्थियों का रिकार्ड एवं आई0यू0सी0डी0 निवेशन करने वाले सेवाप्रदाता द्वारा सम्बन्धित रजिस्टर/फार्म में रखा जाए।
- आई0यू0सी0डी0 कियोस्क में आने वाले सभी लाभार्थियों का रिकार्ड एवं आई0यू0सी0डी0 निवेशन करने वाले सेवाप्रदाता द्वारा सम्बन्धित रजिस्टर/फार्म में रखा जाए।

आई0यू0सी0डी0 कियोस्क की स्थापना करने हेतु प्रति इकाई रु0 35,000.00 की दर से निम्न विवरण के अनुसार धनराशि व्यय की जाए।

Fund Brekup

S. No	Particular	Quantity	Amount (In Rs.)
1	Privacy curtains or glass separator/Room partition in case of single room)	1	10000
2	Light fitting (focused lamp) with power back up facil wiring for power backup, and power point ,etc.	1	2000
3	Waste management purchase of bins (Set 3 Colored with lids/covers)	1	500
4	Signage	1	3000
5	Steel Amirah	1	5000
6	Procedure Table	1	2500
7	Chairs & Stool	3	4000
8	IUCD Kits	3	To be provided by Dist.
9	IEC Materials (Chart,Pamphlets,having the list and details of Service Providers)	1 Set	3000
10	Client record Register & Other register related to IU(insertion, removal and Follow up	3	To be provided by Dist.
11	IUCD/PPIUCD registration and follow up cards	As per load	To be provided by Dist.
12	Miscellaneous other items needed for Corner		5000
	Total		**35,000**

Q+ रणनीति (एफ.एम.आर. कोड संख्या बी 18.3)

परिवार नियोजन सेवाओं में राज्य स्तरीय संकेतकों में उत्कृष्ट सुधार हेतु विशेष गतिविधियॉ प्रस्तावित की जा रही हैं। वर्तमान सर्वेक्षण रिपोर्ट (ए.एच.एस. 2012–13) के अनुसार स्वास्थ्य के सूचकांकों जैसे, TFR, IMR, MMR राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत अधिक हैं। राष्ट्रीय औसत 2.4 की तुलना में प्रदेश का TFR 3.1 है। उपरोक्त मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अत्यधिक प्रसव भार वाली चिन्हित 150 इकाईयॉ, जहॉ पर 200 से अधिक प्रसव प्रतिमाह हो रहे हैं उन इकाईयों को विशेष फोकस कर

ध्यान केन्द्रित करते हुए परिवार नियोजन सेवा प्रदान किये जाने हेतु सुदृढ़ किया जाय। उक्त गतिविधि हेतु निम्नानुसार कार्यआधारित प्रोत्साहन का प्राविधान किया गया हैं। प्रोत्साहन राशि दिये जाने के मानक निम्नानुसार हैं:–

- पी.पी.आई.यू.सी.डी.:–चिन्हित प्रसव इकाई में किये गये कुल प्रसवों के सापेक्ष **सेवाप्रदाता द्वारा 30 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. निवेशन करवाये जाने की स्थिति में सेवाप्रदाता को 30 प्रतिशत से अधिक हुए केसों हेतु प्रति केस रू0 50.00 की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाय।** उदाहरणार्थ – यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किये जाते है जिसके सापेक्ष 50 पी.पी.आई.यू.सी.डी निवेशन होता है जिसमें से सेवाप्रदाता द्वारा 35 पी.पी.आई.यू.सी.डी निवेशन कराया जाता है, उस स्थिति में 30 प्रतिशत से अधिक (31 से 35 केस तक) केस पर रू0 50/–प्रति केस की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सेवाप्रदाता को देय होगी।
- **प्रसव पश्चात नसबंदी सेवा**:–चिन्हित प्रसव इकाई में किये गये कुल प्रसवों के सापेक्ष **सेवाप्रदाता द्वारा 15 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात नसबंदी करने की स्थिति में, सेवाप्रदाता को 15 प्रतिशत से अधिक हुए प्रति केस रू0 200.00 की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाय।**

7+ रणनीति (एफ.एम.आर. कोड संख्या बी 18.4)

7+ रणनीति जनपदों गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराईच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी व सीतापुर का प्रजनन दर प्रदेश की औसत दर से काफी अधिक है। तत्क्रम में, प्रजनन दर में कमी प्राप्त किए जाने हेतु सतत प्रयास की आवश्यकता है, जिसके लिए उच्चतम सकल प्रजनन दर वाले जनपदों में फैमिली प्लानिग मोबाईल टीम संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त मोबाईल टीम, जनपद मुख्यालय पर तैनात की जाएगी, जो कि निर्धारित कैम्प कैलेण्डर के अनुसार पूर्व निर्धारित सेवा केन्द्रों पर जाकर सेवा प्रदान करेगी।

परिचालन रणनीति:–

A) समर्पित परिवार नियोजन मोबाईल टीम:
टीम संयोजन की संरचना निम्नलिखित है–
1. सर्जन नसबन्दी की विधाओं में प्रशिक्षित हो
2. मेडिकल आफिसर विशेषत: स्थानीय एनस्थेसिया में प्रशिक्षित हो
3. स्टाफ नर्स प्रक्रियाओं में पूरी तरह दक्ष व संक्रमण से रोकथाम में वाकिफ हो तथा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन हेतु प्रशिक्षित हो।

B) टीम हेतु मोबिलिटी सपोर्ट इन सात जनपदों में टीम मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में तैनात रहेगी। टीम के आवागमन हेतु एक वाहन प्रदान किया जाएगा। यह वाहन किराये पर रु0 30000/–प्रतिमाह (पी0ओ0एल0 सहित) की दर पर अनुबन्धित किया जाएगा। वाहन उपलब्ध कराये जाने की पूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गाईडलाईन के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से की जाएगी। शिविर के कार्यक्रमानुसार इस टीम द्वारा पूरे जनपद मे सेवायें प्रदान की जाएगीं।

C) सेवाप्रदाताओं हेतु प्रोत्साहनीकरण:

उक्त गतिविधि में सर्जन टीम हेतु निम्नानुसार कार्यआधारित प्रोत्साहन राशि का प्राविधान किया गया हैं। प्रोत्साहन राशि दिये जाने के मानक निम्नानुसार हैं:–

महिला नसबन्दी सेवायें:– इस गतिविधि के अन्तर्गत वर्तमान में सर्जन टीम को रु0 260 प्रति केस अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जाना प्रस्तावित है।

पुरुष नसबन्दी सेवायें:– इस गतिविधि के अन्तर्गत वर्तमान में सर्जन टीम को रु0 310 प्रति केस अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जाना प्रस्तावित है।

नोट– उक्त समस्त गतिविधियों की सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर परिवार कल्याण, महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ससमय उपलब्ध करायी जायं। सर्जन टीम को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि के वितरण हेतु क्षतिपूर्ति धनराशि नवीन शासनादेश सं0 1675 (2)पांच–9–2014–9(222)/14, दिनांक 13.12.2014 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या 645/पाँच–9–2015–9(222)/14 दिनांक 14.05.2015 के अनुसार प्रभावी रहेगी ।